न्यायालय जिला कलक्टर, झुंझुनू

पीठासीन अधिकारी :– डॉ. अरूण गर्ग
आई.ए.एस.

प्रथम अपील संख्या 90 / 2026

एडवोकेट राजेन्द्र सिंह शेखावत पता 19–ए, आरएसईबी ऑफिसर्स कॉलोनी वैशाली नगर जयपुर पिनकोड 302021 मो.न. 9829014542

बनाम

लोक सूचना अधिकारी (अति. जिला कलक्टर) झुंझुनू

– –

सूचना का अधिकार अधिनियम
के तहत प्रस्तुत प्रथम अपील.

आदेश

दिनांक 19.03.2026

1. पत्रावली आज पेश हुई। प्रार्थी (अपीलार्थी) द्वारा यह प्रथम अपील प्रार्थना पत्र सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत दिनांक 05.03.2026 को इस न्यायालय में प्राप्त होने पर प्रथम अपील मिसल नम्बर 90 / 2026 पर दिनांक 05.03.2026 को दर्ज की गई। अपीलार्थी द्वारा उक्त अपील लोक सूचना अधिकारी (अति. जिला कलक्टर) झुंझुनू के विरूद्व पेश की गई है।
2. अपीलार्थी द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत सूचना प्राप्त करने हेतु आवेदन पत्र लोक सूचना अधिकारी (अति. जिला कलक्टर) झुंझुनू को प्रस्तुत कर आवेदन पत्र में वर्णित सूचना चाही गई।
3. लोक सूचना अधिकारी (अति. जिला कलक्टर) झुंझुनू से इस कार्यालय के पत्रांक पाठक / 2026 / 603–04 दिनांक 05.03.2026 द्वारा तथ्यात्मक टिप्पणी चाही गयी थी।
4. लोक सूचना अधिकारी (अति. जिला कलक्टर) झुंझुनू ने पत्रांक एफ.16(4)(5)न्याय / सू.अ. / 2026 / 356 दिनांक 10.03.2026 द्वारा रिपोर्ट प्रस्तुत कर निवेदन किया कि अपीलार्थी आवेदन पत्र इस कार्यालय मे प्राप्त हुआ। अपीलार्थी द्वारा चाही गई सूचना के सम्बन्ध में इस कार्यालय के पत्र कमांक एफ 16(4)(5)न्याय / सू.अ. / 2026 / 66 दिनांक 03.02.2026 के द्वारा प्रभारी अधिकारी स्थापना/भू–अभिलेख अनुभाग, कलेक्ट्रेट झुंझुनू को नियमानुसार प्रार्थी को सूचना उपलब्ध करवाये जाने हेतु पत्र लिखा गया है। प्रभारी अधिकारी (स्थापना) कलेक्ट्रेट,झुंझुनू ने अपने पत्र कमांक 116 दिनांक 04.02.2026 के द्वारा सूचित किया जा चुका है एवं प्रभारी अधिकारी भू अभिलेख अनुभाग कलेक्ट्रेट झुंझुनू ने अपने पत्र कमांक 360–362 द्वारा तहसीलदार भू.अ. नवलगढ़ को आवेदक के प्रार्थना पत्र का नियमानुसार निर्धारित अवधि में निस्तारण कर आवेदक को सूचना उपलब्ध करवाने हेतु लिखा जा चुका है। अतः अपीलार्थी की अपील खारीज फरमायी जावें।
5. अपीलार्थी सुनवाई हेतु उपस्थित नहीं।
6. लोक सूचना अधिकारी (अति. जिला कलक्टर) झुंझुनू द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट के अनुसार अपीलार्थी द्वारा चाही गई सूचना के सम्बन्ध में उनके कार्यालय के पत्र कमांक एफ 16(4)(5)न्याय / सू.अ. / 2026 / 66 दिनांक 03.02.2026 के द्वारा प्रभारी अधिकारी स्थापना/भू–अभिलेख अनुभाग, कलेक्ट्रेट झुंझुनू को नियमानुसार प्रार्थी को सूचना उपलब्ध करवाये जाने हेतु पत्र लिखा गया है। प्रभारी अधिकारी (स्थापना) कलेक्ट्रेट, झुंझुनू ने अपने पत्र कमांक 116 दिनांक 04.02.2026 के द्वारा सूचित किया जा चुका है एवं प्रभारी अधिकारी भू अभिलेख अनुभाग कलेक्ट्रेट झुंझुनू ने अपने पत्र कमांक 360–362 द्वारा तहसीलदार भू.अ. नवलगढ़ को आवेदक के प्रार्थना पत्र का नियमानुसार निर्धारित अवधि में निस्तारण कर आवेदक को सूचना उपलब्ध करवाने हेतु लिखा जा चुका है। लोक सूचना अधिकारी (अति. जिला कलक्टर) झुंझुनू द्वारा निर्धारित समय अपीलार्थी का आवेदन संबंधित को सूचना उपलब्ध करवाने हेतु भिजवा दिया गया था। अपीलार्थी को सूचना उपलब्ध करवा दी गई है। अतः अपीलार्थी का सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत प्रथम अपील का प्रार्थना पत्र खारिज किया जाता है।
7. अपीलार्थी को यह भी सूचित किया जाता है कि आप इसकी द्वितीय अपील माननीय राज्य सूचना आयोग जयपुर के यहां निर्धारित समयावधि में कर सकते है।

आदेश आज दिनांक 19.03.2026 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(डॉ. अरूण गर्ग)
जिला कलक्टर,झुंझुनूं